

भू वैज्ञानिकों के सुझावों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- एस०सी०पी० के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बनलेख-मउडियार -गवातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/षर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

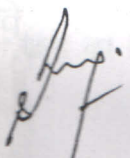
छाया प्रति प्रमाणित

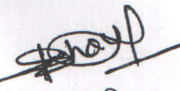
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन भूमि की न्यूनतम आवश्यकता होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बनलेख-मउडियार -गवातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

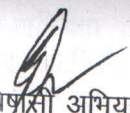
प्रमाणित किया जाता है कि याचित 4.410 है0 वन भूमि की माँग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। वनभूमि आगणन हेतु 7 मीटर चौड़ाई पर ली गयी है, किन्तु पेड़ों की गणना 7 मीटर चौड़ाई पर की गयी है तथा मार्ग भी 7 मीटर चौड़ाई पर ही बनाया जायेगा। ताकि पेड़ कम से कम प्रभावित हों।


कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0,
कपकोट


सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0,
कपकोट



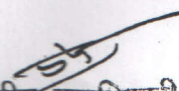

वन-विभागीय अधिकारी
हरनपट्टी विधि कोष
बागेश्वर वन हस्तान्तरण


अधिपसी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0,
कपकोट


तत्समीक्षित
बागेश्वर
01/11/12

प्रति हस्ताक्षरित
उपजिलाधिकारी


प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
बागेश्वर


प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर


उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

उप्रा प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बनलेख-मउडियार -गवातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 4.410 है0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट


अधिसूची अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट


वन विभागाधीनारी
परमेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर


विभागाधीनारी
बागेश्वर

वन विभागाधीनारी
बागेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित

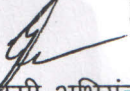

सहायक अभियंता
निर्माण खंड लो.नि.वि.
कपकोट

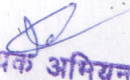
दुग्ने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बनलेख-मउडियार -गवातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 4.410 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुग्ने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 8.820 हैक्टेयर में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट


अधीक्षसी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बनलेख-मउडियार -गवातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

— — — — —
अधिशिखी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

प्रस्तावित स्थल विशिष्ट होने / न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बनलेख-मउडियार -गवातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित स्थल विशिष्ट है।

2/ km
निवाधिकारी
बागेश्वर

वनाधिकारी



सहायक निवाधिकारी
बागेश्वर

सहायक निवाधिकारी
बागेश्वर

सहायक निवाधिकारी
बागेश्वर

सहायक निवाधिकारी
बागेश्वर

सहायक निवाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 पि0
कपकोट

(9)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

क.सं.	परियोजना विवरण :-	
1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बनलेख-मउडियार -गवातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रु0 441.00 लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मो0मार्ग का निर्माण
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	कृषि, दुग्ध एवं पर्यटन के आवागमन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि-1.645 हैक्टेयर, वन पंचायत 1.715 हैक्टेयर, आरक्षित भूमि 1.050 हैक्टेयर (कुल वनभूमि-4.410 हैक्टेयर) वनभूमि
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हों, क) परिवारों की संख्या	नहीं
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	नहीं
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	नहीं
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरकवनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता(वचनबद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	अनुसूची संलग्न है।

दिनांक..... 29/11/12

स्थान..... बागेश्वर जिला

सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
कपकोट

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
कपकोट

सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
कपकोट

प्रस्ताव की कम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

क.सं.	विवरण	
7	परियोजना/स्कीम का स्थान:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बनलेख-मउडियार -गवातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।	
i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	बागेश्वर
iii)	वन प्रभाग	बागेश्वर वन प्रभाग, धरमघर/बागेश्वर
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	सिविल भूमि-1.645 हैक्टेयर, वन पंचायत 1.715 हैक्टेयर, आरक्षित भूमि 1.050 हैक्टेयर (कुल वनभूमि-4.410 हैक्टेयर)वनभूमि
v)	वन की कानूनी स्थिति	
vi)	हरियाली का घनत्व	0.3
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर.एल. - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।	प्रस्ताव में संलग्न है।
viii)	भूसंक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न भू संक्षरण की सम्भावना नहीं है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	50 मी.
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)	नहीं।
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	वनभूमि न्यूनतम है अभी मार्ग प्रस्तावित है। कोई उल्लंघन नहीं किया। स्वीकृति के उपरान्त निर्माण करवाया जाना है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-	संलग्न है।
i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से उसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	पृष्ठ 25-48
ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुमान, लागत का आदि।	नॉन फ्लायिंग-टर्ड टेक्निकल रिपोर्ट
iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए वन विभाग परीक्षण।	8,68,900 200
v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में ओ. प्रो. चक्रे गुरुद्विकोण से संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सम्बन्धित वन वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना।	छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	
i)	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	23/10 वर्ग किमी
ii)	जिला का वन क्षेत्र।	1074 वर्ग किमी
iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	355 मामले 1453.2083 हेक्टेयर
iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	1315.278 हेक्टेयर
क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि	
ख)	वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
क)	वन भूमि पर	1001.000 हेक्टेयर
ख)	वनेत्तर भूमि पर	234.272 हेक्टेयर
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	संनैहति की संस्तुति की जाती है।

स्थान- बागेश्वर

दिनांक-

प्रस्ताव में सम्बन्धित क्षेत्र में कुबारा पेड़ की गिनती करवाई गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर:

तिथि.....

नाम और पदनाम

स्थान.....

सरकारी मोहर

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

(13)

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :
स्थान :

(नाम और पदनाम)
सरकारी मोहर

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 18- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

हस्ताक्षर:

तिथि :
स्थान :

(नाम और पदनाम)
सरकारी मोहर